न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– सं
दीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 80/2016

1. मदनलाल पुत्र श्री हनुमानराम जाति बि नोई निवासी चक 3 पी.एच.एम. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थी

बनाम

1. भीमसेन पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी छापनबड़ी तहसील सादुल ाहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाश्चकगण :–

1. श्री रामकुमार तेतरवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान का तकारी अधिनियम

–:आदे ा:– **दिनांक :– 2019**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान का तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी के नाम से चक नं. 3 पीएचएम 'ए' के मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 की तादादी 24.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृश्ि भूमि है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 13 केएलडी के मु.न. 179/25 के कि.न. 1 ता 25 की तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड कृश्ि भूमि है। प्रार्थी ने अपने रकबा मु.न. मु.न. 179/18 के कि.न. 1 ता 24 बीघा कृश्ि भूमि में ढाणी बना रखी है एवं अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व का त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के मु.न. 179/25 के कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता है जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा है जो कटान ुदा रास्ता से मेरी ढाणी तक जाता है। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं. 1 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ते में खाई खोद दी व बाड़ लगा दी। जिसको मैंने मु किल से हटाया। जब भी अप्रार्थी सं. 1 के मन में आती है तो मेरा रास्ता बन्द कर देता है। उक्त रास्ते के अलावा मेरी ढाणी में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करता है व मनमर्जी से रास्ता बाधिक कर देता है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम करना आव यक है । अतः प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृश्ि भूमि चक 13 केएलडी 'ए' का मु.न. 179/25 में कि.न. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कृश्ि भूमि जिसका आसा–पासा नजरिया नक ा में दिखाया गया है, के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर अंकन करने के आदे ा अप्रार्थी सं. 2 को दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 25.07.17 को उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया है कि उनकी सहमति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोश में वर्णित रकबा में स्वीकृत ुदा रास्ता नहीं होना बताया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के तहत चालू रास्ते को स्वीकृत करवाने हेतु अनुतोश चाहा गया है जो कि धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधानों से सुसंगत नही है। धारा 251 'ए' में नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने के ही प्रावधान है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2019.12.24 16:11:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: